मध्य प्रदेश शासन
पशुपालन एवं डेयरी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन–462004
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 24/02/2022

क्रमांक–एफ–6–15/2020/पैंतीस:: विभाग के समसंख्यक आदेश दि0 20.01.2021 द्वारा डॉ0 अनिल कुमार केवट, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा अपराध प्रमाणित पाए जाने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 (क) 13 (1) बी, 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 (संशोधित 2018) भा.दंवि. के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई।

2/ डॉ0 अनिल कुमार केवट, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के विरूद्व मान0 विशेष न्यायालय छिंदवाड़ा में दि0 26.02.2021 को चालान प्रस्तुत किए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) बी के तहत डॉ0 केवट को विभागीय आदेश दि0 05.04.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3/ मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 53 में प्रावधान है कि निलंबन अवधि के तीन माह से अधिक हो जाए, तो प्रथम तीन माह के पश्चात जीवन निर्वाह भत्ते की राशि मे फेरफार किया जा सकता है।

4/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 55 में निहित प्रावधानों के तहत निलंबित डॉ0 अनिल कुमार केवट, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय लांजी जिला बालाघाट के जीवन निर्वाह भत्ते को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

MIS
डॉ. पाठक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
24/02/2022

(सुनील मड़ावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग

25 FEB 2022

पृष्ठ0क्र0एफ–6–15/2020/पैंतीस

भोपाल दिनांक 24/02/2022

प्रतिलिपि :–

1/. संचालक पशुपालन मध्यप्रदेश, भोपाल,
2/ संयुक्त संचालक,पशु चिकित्सा सेवाएं, जबलपुर,
3/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बालाघाट,
4/ डॉ0 अनिल कुमार केवट, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय लांजी जिला बालाघाट,

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/ बेवसाइट प्रभारी की ओर बेवसाइट पर अपलोड करने बावत।
6/ गार्ड फाईल.

24/02/2022
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग